16

I 14445

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन	:	2,17,02,522.00 रूपये।
स्टाम्प	:	15,,19,300.00 रूपये। CHALLAN NO H.714024 24.XII.2010

मैं कि प्रेमराज पुत्र श्री सरपत उर्फ सम्पत निवासीग्राम कचैडा वारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (फरीक अव्वल, विक्रेता)।

एवम

मैसर्स उप्पल चढ्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम/क्रेता)।

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

2,17,02,522.00/- ... 10,000/-

जोड़ 20/- ... 10,020/- ... 600

प्रेमराज

पुत्र श्री [illegible] सम्पत्त स्वेती

निवासी [illegible] परगना व तह० दादरी जि० गौ० बुद्धनगर

24/12/10

बही नं० 4 5

24/12/10

इस लेखपत्र का [illegible] एवं इसमें लिखे

जरेबदल मु० 2,17,02,522.00/- रु०

जिसमें से प्रतिफल अनुसार

[illegible] प्रेमराज उक्त विक्रेता ने व

क्रेतागण श्री दिनेश पाठक S/o श्री अम्बाप्रसाद पाठक 31 कम्युनिटी सेंटर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली तथा मैसर्स [illegible] प्राइवेट लिमिटेड 31 कम्युनिटी सेंटर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली ने स्वीकार किया।

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम कचैड़ा वारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0), कृषि भूमि खाता नं0 268 के खसरा नं0 619मि0 रकबा 1.6820 हैक्टे0 में से 0.2260 है0 व खाता संख्या 106 के खसरा सं0 620 रकबा 0.6040 है0 का 1/6 भाग अर्थात रकबा 0.100666 है0 व खाता सं0 34 के खसरा सं0 129 रकबा 0.0510 है0 का पूर्ण भाग व खाता सं0 257 के खसरा सं0 126 रकबा 0.1860 है0 व खसरा सं0 125 रकबा 0.1850 है0 व खसरा सं0 97 रकबा 0.3890 है0 व खसरा सं0 131 रकबा 0.3750 है0 का पूर्ण भाग इस प्रकार कुल रकबा 1.512666 है0 प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतौनी 1409-1414 फसली जिसका फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का बैनामा हाजा में विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 8000000/- रूपये प्रति हैक्टेयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200/-प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 2,17,02,522/- रूपये (दो करोड सत्रह लाख दो हजार पांच सौ बाईस रूपये मात्र) में तय है और सरकारी स्टाम्प क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(i) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

[illegible] अमित

पुत्र श्री राजकुमार [illegible] नौकरी

निवासी [illegible] [illegible] गारमाबाद गौ० बुद्ध नगर

[illegible] शेख

[illegible] रणवीर [illegible] रवेती

[illegible] [illegible] गारमाबाद गौ० बुद्ध नगर

[illegible]

सब रजिस्ट्रार दादरी

२४/१२/१०

सब रजिस्ट्रार दादरी [illegible]

साक्षी वाले [illegible] लेखे है चिन्ह

अंगुष्ठ नियमानुसार लिये गये है

उप निबन्धक

दादरी, गौतम बुद्ध नगर

अमित

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कही अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबे, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्धसरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ड्यूज है। इस विक्रय भूमि से संबधित किसी भी प्रकार का विवाद–ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

(6) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटी नही है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखित भूमि के संबध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होगें।

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त भूमि खाता नं0 268 के खसरा नं0 619मि0 रकबा 1.6820 हैक्टे0 में से 0.2260 है0 व खाता संख्या 106 के खसरा सं0 620 रकबा 0.6040 है0 का 1/6 भाग अर्थात रकबा 0.100666 है0 व खाता सं0 34 के खसरा सं0 129 रकबा 0.0510 है0 का पूर्ण भाग व खाता सं0 257 के खसरा सं0 126 रकबा 0.1860 है0 व खसरा सं0 125 रकबा 0.1850 है0 व खसरा सं0 87 रकबा 0.3890 है0 व खसरा सं0 131 रकबा 0.3750 है0 का पूर्ण भाग इस प्रकार कुल रकबा 1.512666 है0 स्थित ग्राम कचैड़ा बारसाबाद परगना

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

दादरी तहसील व जिला गौतमबुद्ध नगर के अपने हिस्से पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एंव अन्य निजी आवश्यकता हेतू पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रहीं है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी,शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक समैंति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली–खारिजी, काश्त मराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशी अंकन 2,17,02,522/– रूपये (दो करोड दो हजार पांच सौ बाईस रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन 1,08,51,261/–(एक करोड आठ लाख इक्यावन हजार दो सौ इकसठ रूपये मात्र) होते है के एवज मे बहाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स उप्पल चढ्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली पैन नंबर AAACU7200M द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी को बैय कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नही रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग में लावें।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बावत समस्त कागजात मे बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात मे कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वंय दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते है, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

For Uppal Chadha ... ...lopers Pvt. Ltd.

Authorised ...

उत्तर प्रदे

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि मैं निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबध बाकी नही रहा और न कभी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसानकी चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ कर गवाहों की उपस्थिति मैं लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 1.512666 हैक्टेयर, खाता नं0 268 के खसरा नं0 619मि0 व खाता सं0 106 के खसरा सं0 620 व खाता सं0 34 के खसरा सं0 129 व खाता सं0 257 के खसरा सं0 126, 125, 87, 131 स्थित ग्राम कचैडा वारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:-

For Uppal Chadha ... pers Pvt. Ltd.

...ed Signatory

(15) बैंक ऐक्सिस बैंक लि० गाजियाबाद शाखा गाजियाबाद का चैक नंबर 263394 अंकन **2,16,02,522/-(दो करोड़ सोलह लाख दो हजार पांच सौ बाईस रूपये मात्र)** तथा अंकन 1,00,000/- रू0 नगद दिनांकित 24.12.10 फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक दोयम (क्रेता)

गवाह नं0 1 अमित S/o राजकुमार
ग्राम - कनौजा
जिला - गौ.बु.नगर

गवाह नं0 2 राजू S/o रणवीर
ग्राम - कनौजा
जिला - गौ.बु.नगर

तहरीरी दिनांक. 24-12-2010 मसौदा तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद

सत्यमेव जयते

16

बीस रुपये

रु.20

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AA 153006

Stamp duty paid in cash certificate in favour of--M/S UPPAL CHADDHA HI-TECH DEVELOPERS PVT.LTD.,33,COMMUNITY CENTRE,NEW FRIENDS COLONY , NEW DELHI

In pursuance of the order of the collector

N0...memo....dated.24.12.10 passed under

Section 10-A of the stamp act.It is certified that an amount of Rs.15,19,300-00(Inwords Rs.Fifteen lacs nineteen thousand-three hundred only)

has been paid in cash as stamp duty in respect of this instrument in the State bank of India

Treasury/Sub treasury ... NOIDA

By Challan No...N.17140 3....... dated..24.12.10

A copy of which is annexed herwwith.

24/12

Dated 2010

Senior Treasury Officer

Gautam Budh Nagar

ने ...[illegible]... क्र. ...[illegible]... में शामिल
किया गया।

23 DEC 2010

रोकड़िया

★ कोषागार/गौतम बुद्ध नगर ★

M/S Uppal Chaddha Hitech developers Pvt Ltd. Noida

बही दिनांक 24/12/10 का फोटोस्टेट
प्रति पुस्तक संख्या 1 खण्ड संख्या 3221
के पृष्ठ 343 से 356 पर क्रम संख्या 14445
पर [illegible] किया गया।

उप नि[illegible]
दादरी

71020116093

गौतमबुद्धनगर

उद्धरण खतौनी

ग्राम का नाम : कचैड़ा वारसाबाद

फसली वर्ष : 1409-1414 3215

परगना : दादरी

भाग : 1

तहसील : दादरी

खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
2			3	4	5	6	7-12	13
भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
[illegible]	चौदल बेदल	नि. ग्राम नि. ग्राम	पू.1402 पू.1402	543 620	0.0760 0.6040		1412फ. आदेशानुसार श्रीमान ना.तहसीलदार मि.न. 112/6.7.04 का आदेश हुआ कि खाता सं.106 के खसरा सं.620/0.604 मा.32.10 के चकदर भाग में चन्दर पुत्र बेदल ग्रामवासी का नाम खारिज करके क्रेता धर्मसिंह,प्रेमसिंह,रामपाल सिंह पुत्रगण सम्पत सिंह ग्रामवासी का नाम बजरिये बैनामा अंकन 4,23,000/- दर्ज हो। ह.ले.3.8.04 ह.आर.के. 3.8.04	
		कुल गाटे : 2		कुल क्षे :	0.6800	34.95		

हस्ताक्षर

[stamp: R. K.]

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 71020116093 ग्राम का नाम : [illegible] परगना : दादरी तहसील : दादरी

जनपद : गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1409-1414 भाग : 1

खाता खतौनी का क्रमांक	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौरूसी अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के सम्बन्धित गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेवार वार्षिक देय लगान/मालगुजारी का परिमाण	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा का हवाला संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद
1	2			3	4	5	6	7-12
श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में है।								
00262	पैमराज सिंह	सरपत सिंह	नि. ग्राम	पू.1402	111	0.7490		न्यायालय उपजिलाधिकारी दादरी के पत्रांक 807/ एस.डी.एम.-दादरी/09 दिनांक 13-4-09 वाद सं. धारा 176 ज.वि.अधि. पैमराज सिंह बनाम धर्मसिंह उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दि. 13.4 के अनुसार लेखपाल द्वारा प्रस्तुत कुर्रे ... पुष्टि की जाती है।
	धर्मसिंह	सरपत सिंह	नि. ग्राम	पू.1402	606	0.0160		कुर्रा न.-1: प्रतिवादी सं. 1 धर्मसिंह पुत्र सरपत उर्फ सम्पत सिंह नि ग्राम के खा.स. 268 के ख.न. 111/0.7480, 619/1.6820है. कुल 2 किता/ 2.4310 में से 111मि/ उ. रकबा 0.2496है. व 619मि उ. रकबा 0.5607है. कुल रकबा 0.8103है. मा. 41.? रुपये सालाना
	राजपाल सिंह	सरपत सिंह	नि. ग्राम	पू.1402	609	0.1200		कुर्रा न.-2: प्रतिवादी सं. 2 राजपाल पुत्र सरपत उर्फ सम्पत सिंह नि.ग्राम के खा.स. 26... 0.7460, 619/1.6820है. कुल 2 किता/2.4310 में से 111मि/ उ.प. रकबा 0.2497है. व 619मि उ.द. रकबा 0.5606है. कुल रकबा 0.8103है. मा. 41.80/-रु हुआ।
				पू.1402	619	1.6820		कुर्रा न.-3: वादी पैमराज पुत्र सरपत उर्फ सम्पत सिंह नि.ग्राम के खा.स. 268 के ख.न. 111/0.7480, 619/1.6820है. कुल 2 किता/2.4310है. में से 111मि/ द. रकबा 0.2497है. व 619मि द.प. रकबा 0.5607है. कुल रकबा 0.8104है. ...

26496

पद : गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1409-1414 भाग : 1 तहसील : दादरी

खाता संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौरूसी अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आदेश देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
					कुल गाटे : 4	कुल क्षे : 2.5670	132.45		

2010

5716.1116.93 ग्राम का नाम : [illegible] परगना : [illegible] तहसील : [illegible]

[illegible] फसली वर्ष : 1409-1414 भाग : 1

खातेदार का नाम	पिता/पति का नाम	निवास स्थान		खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है.)			टिप्पणी
2			3	4	5	6	7-12	13
1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
ओमप्रकाश	सीताराम	नि. ग्राम	कृ.1402	129	0.0510		1410फ. आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मि.नं. 420/22.6.02 को आदेश हुआ कि खसरा सं.129/ 0.031 [illegible] 5.25 [illegible] ओमप्रकाश पुत्र सीताराम [illegible] का नाम खारिज करके [illegible] दर्ज हो। [illegible] 72,000/-18.6.02 आदेशानुसार श्रीमान [illegible] मि.नं. 544/7-7-06 को आदेश हुआ कि [illegible] 34 के [illegible] 585/0.6740 [illegible] ओमप्रकाश पुत्र [illegible] सीताराम [illegible] का नाम खारिज करके [illegible] [illegible] फार्म-6 [illegible] [illegible]-30 [illegible] [illegible] 334 [illegible] नई दिल्ली का नाम [illegible] दर्ज हो। [illegible] 19-10-2006	
			कृ.1402	585	0.6740			
			कृ.1402	587	0.5080			

कुल खाते: 3 कुल क्षे.: 1.2330 60.00

उद्धरण खतौनी

ग्राम कोड : 71020116093 ग्राम का नाम : [illegible]
जनपद : [illegible] फसली वर्ष : 1409-1414
परगना : [illegible] तहसील : [illegible]
भाग : 1

खाता संख्या	खातेदार का नाम / पिता / पति / संरक्षक का नाम / निवास स्थान			वर्ष जिसमें खाते में अंकित हुए	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश संख्या दिनांक और आदेश देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	
श्रेणी : 1 क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में है।								
00025	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1408	126	0.1860			
				1408	125	0.1850			
				1403	87	0.3850			
				1403	131	0.3750			
				कुल गाटे :	4	कुल क्षेत्र : 1.1310	66.60		

हस्ताक्षर

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

पी० एन० बी०

[illegible]

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या 268/106 उप 254 खसरा नम्बर 6/15, [illegible] 125 [illegible] रकबा [illegible] 131 [illegible] स्थित ग्राम [illegible] परगना दादरी व तहसील दादरी जिला गौ० बु० नगर। मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि मै० उप्पल चड्ढा हाईटैक डेवेलपर्स प्रा० लि० को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण-पत्र (एन० ओ० सी०) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

प्रेमराज S/o सरपत उर्फ सम्पत

नि० [illegible]

[signature] [stamp]

161

सेवा में,

शाखा प्रबंधक

उ0प्र0 क्षे0 ग्रामीण बैंक

दादरी

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या 268, 106, 34, 284 खसरा नम्बर 614, 620, 125, 87, 172, 176, 131 रकबा [illegible] स्थित ग्राम कुलेसरा [illegible] परगना दादरी व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर। मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि मै0 उप्पल चड्ढा हाईटैक डेवेलपर्स प्रा0 लि0 को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण-पत्र (एन0 ओ0 सी0) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

प्रेमराज S/o सरपत उर्फ सम्पत

नि0 कुलेसरा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 442353

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक .... स्थान गाजियाबाद में श्री [illegible] .... पुत्र/पति [illegible] निवासी ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] व जिला [illegible]

प्रथम पक्ष

एवं

मै० उप्पल चड्ढ़ा हाईटैक डवलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेंडस कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा .... पुत्र........................

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम.................................. परगना व तहसील.................. जिला.............................. में स्थित भूमि खाता सं0.......................... खसरा सं.......... .... कुल रकबा .... हैक्टेयर (अपने सम्पूर्ण भाग) का संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नही है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या कोई केस नही चल रहा है।

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्जे सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक .... को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार दादरी कार्यालय में बही सं0 1 के पुस्तक सं0................. पृष्ठ.................... पर क्रम सं0 .... पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरुप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर 400 रुपए प्रति वर्गगज के हिसाब से रु0................/ · द्वारा चैक नं. .... दिनांक .... बैंक....................... द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरुप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन......................... रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लाट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. 400 प्रति गज के हिसाब से निर्धारित धनराशि............................. दोनों पक्षों को मान्य है।

2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।

3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नही रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।

4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नही होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष क होगें। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु..................... द्वारा चैक सं0......................... दिनांक...................... बैंक .... से प्राप्त कर लिये है।

5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरुप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नही होगा।

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

1.

2.